



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224385
CG-DL-E-14012021-224385

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2021/पौष 23, 1942

No. 112]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021/PAUSHA 23, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2021

का.आ. 132(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.393(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में NH752G के कि.मी. 21.427 से 64.000 कि.मी. तक पिंपलनेर से सटाणारोड (सेक्शन-2) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "09 मार्च," को "महाराष्ट्र टाइम्स (अंग्रेजी)" और "महाराष्ट्र टाइम्स (मराठी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में NH752G के कि.मी. 21.427 से 64.000 कि.मी. तक पिंपलनेर से सटाणा रोड (सेक्शन-2) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नासिक			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बागलाण				
	गांव का नाम: ढोलबारे				
1	2	निजी	शुष्क	0.031	दगा उमा ठोंबरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा विरगाव (२)
2	3	निजी	शुष्क	0.022	हरि लक्ष्मण अहिरे सरदार लक्ष्मण अहिरे बापू लालचंद अहिरे बाळू देवराम अहिरे दिनकर लक्ष्मण भामरे सुवर्णा नगरी पतसंस्था नाशिक (३)
3	30	निजी	शुष्क	0.13	अप्पा रामा सुळ येसा रामा सुळ मैनाबाई पोपट टकले राजूबाई रामा सुळ तुकाराम रामा सुळ लहानू जोता सुळ दुलाबाई विठ्ठल सुळ भिला विठ्ठल सुळ सोमा विठ्ठल सुळ जयाबाई नाना गोयकर बायटाबाई बापू कुलाळ त्र्यंबक जोता सुळ त्र्यंबक जोता सुळ देवाजी जोता सुळ सहकारी सोसायटी विरगाव वि. का. स. सो. नज़र गहाण मुंबई सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा विरगाव (३०)
4	32	सरकारी	शुष्क	0.11	गुप ग्रामपंचायत आन्हाटी ढोलबारे

					(32)
	गांव का नाम: वनोली				
5	23	सरकारी	सरकार	0.04	शासकीय गाववर्दल (२३)
			कुल	0.333	

[फा. सं. NH-12014/49/2015-MAH(P-6)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2021

S.O. 132(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O.393(E) dated 24th January 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of National Highway No.752G on the stretch of land from Km 21.427 to Km 64.000 Pimpalner to Satana (Section-2) in the district of Nashik in the state of Maharashtra;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Maharashtra Times (English)” and “Maharashtra Times (Marathi)” both dated 09 March, 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority Deputy Collector (Land Aquisition) National Highway Project, Nashik and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 752G in the stretch of land from Km 21.427 to Km 64.000 Pimpalner to Satana (Section-2) in the district of NASHIK in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: NASHIK		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Baglan				
	Village: Dholbare				
1	2	Private	Dry	0.031	Daga Uma Thombare Bank Of Maharashtra Branch Virgaon 2

2	3	Private	Dry	0.022	Hari Laxaman Ahire Sardar Laxaman Ahire Bapu Lalchand Ahire Balu Devram Ahire Dinkar Laxaman Bhamare Suvarna Nagri Patsanstha Nashik 3
3	30	Private	Dry	0.13	Appa Rama Sul Yesa Rama Sul Mainabai Popat Takale Rajubai Rama Sul Tukaram Rama Sul Lahanu Jota Sul Dulabai Viththal Sul Bhila Viththal Sul Soma Viththal Sul Jayabai Nana Goykar Baytabai Bapu Kulal Tryambak Jota Sul Tryambak Jota Sul Devaji Jota Sul Sahakari Society Virgaon Vi. Ka. Sa. Society Nazar Gahan Mumbai Sarkar Bank Of Maharashtra Branch Virgaon 30
4	32	Government	Dry	0.11	Group Grampanchayat Awhati Dholbare 32
	Village: Vanoli				
5	23	Government	Government	0.04	Government Gavvardal 23
			TOTAL	0.333	

[F. No. NH-12014/49/2015-MAH(P-6)/3D]

RAJESH GUPTA, Director.